BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH AT NEW DELHI

Rejoinder by Applicant

In

ORIGINAL APPLICATION NO. 1322 OF 2024

IN THE MATTER OF

Rajneesh Karnwal **APPLICANT IN PERSON**

Versus

Union of India through Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change and ors. **RESPONDENTS**

INDEX

S.No	Particulars	Page No.
1.	Rejoinder by Applicant	1-2
2.	Affidavit	3
3.	Annexure 1	4
4.	Annexure 2	5
5.	Annexure 3	6

Rajneesh Karnwal

Applicant in Person

Date : 28.11.2024

Place : Meerut

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH AT NEW DELHI

Rejoinder by Applicant

In

ORIGINAL APPLICATION NO. 1322 OF 2024

IN THE MATTER OF

Rajneesh Karnwal **APPLICANT IN PERSON**

Versus

Union of India through Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change and ors. **RESPONDENTS**

Rejoinder by Applicant

MOST RESPECTFULY SHOWETH;

I, Rajneesh Kumar, aged about 39 years, resident of R/o, B/17 Main Road Hastinapur, District Meerut, Uttar Pradesh do hereby solemnly affirm and declare as under:

1. That the applicant has lodged a complaint to DFO Meerut on the **Jansunwai Portal** (wide reference no **40013824035534**) regarding illegal construction activities taking place within the Hastinapur Sanctuary. The filed complaint is attached herewith and marked as **ANNEXURE 1**.
2. That the applicant has lodged a complaint to officials of tehsil Mawana District Meerut on the **Jansunwai Portal** (wide reference no **40013824035757**) regarding illegal construction activities taking place within the Hastinapur Sanctuary. The filed complaint is attached herewith and marked as **ANNEXURE 2**.
3. That illegal mining activities are being conducted within the sanctuary area in the Hastinapur region. In this regard, a news report published in the *Jamwani* newspaper, dated 23rd November 2024, on page 6 of the Meerut edition, is annexed herewith and marked as **ANNEXURE 3**.

In view of the above submissions, the Applicant humbly prays for appropriate reliefs as deemed just and necessary by this Hon'ble Tribunal.

And for this act of kindness, the Applicant shall ever pray.

Signature of Applicant In Person

VERIFICATION

I, Rajneesh Karnwal the applicant herein, do hereby verify that the contents of the above paragraphs are true to the best of my Knowledge and grounds are based on legal advice and that I have not suppressed any material fact.

Signature of Applicant In Person

Date : 28.11.2024

Place : Meerut

ATTESTED
NOTARY 28/11/24
N.K. GIRI
Advocate
Mawana (Meerut)

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
AT PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

(Under Section 18 read with Sections 14, 15 of National Green Tribunal Act 2010)

ORIGINAL APPLICATION No 1322 of 2024

IN THE MATTER OF

Rajneesh Karnwal

Versus

Union of India through Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change and ors.

AFFIDAVIT

I, Rajneesh Karnwal , S/o, Shri. Yashpal Singh aged about 39 years, R/o, B/17 Main Road Hastinapur, District Meerut, Uttar Pradesh do hereby solemnly affirm and declare as under:

1. That I am the Applicant/ Applicant In Person in above mentioned application and I am fully conversant with the facts and circumstances of the case and therefore competent to swear this affidavit.
2. That, the statements made in above paragraphs of this affidavit is true to my knowledge and belief.
3. That the contents of the Original Application are true and correct and nothing material has been concealed therefrom.

Applicant In Person

VERIFICATION

Verified on this **28 day of Nov 2024** that the contents of the present Application are true and correct to my knowledge and belief and nothing material is concealed therefrom.

Applicant In Person /Deponent

ATTESTED

NOTARY

29/11/24

N.K. GIRI

Advocate

Mawana (Meerut)

ANNEXURE 1

जनसुनवाई

समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली, उत्तर प्रदेश

सन्दर्भ संख्या:- 40013824035534

लाभार्थी का विवरण

नाम	Rajnesh Karnwal	पिता/पति का नाम	Yashpal Karnwal
मोबाइल नंबर(१)	9897127888	मोबाइल नंबर(२)	
आधार कार्ड न.		ई-मेल	
पता	तहसील - मवाना , जिला - मेरठ		

आवेदन पत्र का ब्यौरा

आवेदन पत्र का संक्षिप्त ब्यौरा	सेवा में, डीएफओ मेरठ विषय: हस्तिनापुर सेंचुरी क्षेत्र में हो रहे अतिक्रमण के संदर्भ में कानूनी कार्यवाही हेतु निवेदन। महोदय, सविनय निवेदन है कि हस्तिनापुर सेंचुरी क्षेत्र, जो कि जैव विविधता और पर्यावरणीय संतुलन के लिए अति महत्वपूर्ण है, में निरंतर अंधाधुंध अतिक्रमण हो रहा है। यह क्षेत्र वन्यजीवों के संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा हेतु संरक्षित घोषित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार एवं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण में जीने का मौलिक अधिकार प्राप्त है। हस्तिनापुर सेंचुरी के अंतर्गत अवैध निर्माण कार्य और अतिक्रमण न केवल प्राकृतिक पर्यावरण के लिए हानिकारक हैं, बल्कि इससे वन्य जीव-जंतुओं का आवास भी खतरे में पड़ गया है। यह गतिविधियाँ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन करती हैं। इसके अतिरिक्त, सुप्रीम कोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के दिशा-निर्देशों के अनुसार संरक्षित क्षेत्रों में किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य सख्त प्रतिबंधित है। अतः, आपसे निवेदन है कि कृपया इस विषय में तत्काल संज्ञान लेते हुए आवश्यक कानूनी कार्यवाही करने का कष्ट करें। हस्तिनापुर कौरवान एवं पाण्डवान में अतिक्रमण को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएँ और दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही सुनिश्चित की जाए, ताकि इस क्षेत्र की प्राकृतिक संपदा और वन्यजीवों की सुरक्षा की जा सके। सादर,		
संदर्भ दिनांक	14-11-2024	पूर्व सन्दर्भ(यदि कोई है तो)	0,0
विभाग	पर्यावरण,वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	शिकायत श्रेणी	सीमा/ वन भूमि सम्बन्धी विवाद/वन अधिकार अधिनियम

लाभार्थी का विवरण/शिकायत क्षेत्र का

शिकायत क्षेत्र का पता	तहसील- मवाना, जिला- मेरठ

GOVT. OF INDIA N.K. GIRI Reg. No. ...2/05 Distt. Meerut NOTARY

True Copy

ANNEXURE 2

जनसुनवाई

समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली, उत्तर प्रदेश

सन्दर्भ संख्या:- 40013824035757

लाभार्थी का विवरण

नाम	RAJNEESH KARNWAL	पिता/पति का नाम	YASHPAL SINGH
मोबइल नंबर(१)	9897127888	मोबइल नंबर(२)	
आधार कार्ड न.		ई-मेल	
पता	तहसील - मवाना , जिला - मेरठ		

आवेदन पत्र का व्यौरा

आवेदन पत्र का संक्षिप्त व्यौरा	विषय: हस्तिनापुर सेंचुरी क्षेत्र में हो रहे अतिक्रमण के संदर्भ में कानूनी कार्यवाही हेतु निवेदन। महोदय, सविनय निवेदन है कि हस्तिनापुर सेंचुरी क्षेत्र, जो कि जैव विविधता और पर्यावरणीय संतुलन के लिए अति महत्वपूर्ण है, में निरंतर अंधाधुंध अतिक्रमण हो रहा है। यह क्षेत्र वन्यजीवों के संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा हेतु संरक्षित घोषित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार एवं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण में जीने का मौलिक अधिकार प्राप्त है। हस्तिनापुर सेंचुरी के अंतर्गत अवैध निर्माण कार्य और अतिक्रमण न केवल प्राकृतिक पर्यावरण के लिए हानिकारक हैं, बल्कि इससे वन्य जीव-जंतुओं का आवास भी खतरे में पड़ गया है। यह गतिविधियाँ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन करती हैं। इसके अतिरिक्त, सुप्रीम कोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के दिशा-निर्देशों के अनुसार संरक्षित क्षेत्रों में किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य सख्त प्रतिबंधित है। अतः, आपसे निवेदन है कि कृपया इस विषय में तत्काल संज्ञान लेते हुए आवश्यक कानूनी कार्यवाही करने का कष्ट करें। हस्तिनापुर कौरवान एवं पाण्डवान में अतिक्रमण को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएँ और दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही सुनिश्चित की जाए, ताकि इस क्षेत्र की प्राकृतिक संपदा और वन्यजीवों की सुरक्षा की जा सके। सादर,		
संदर्भ दिनांक	16-11-2024	पूर्व सन्दर्भ(यदि कोई है तो)	0,0
विभाग	राजस्व एवं आपदा विभाग	शिकायत श्रेणी	सार्वजनिक भूमि जैसे तालाब, खलिहान, शमशान, खेल का मैदान, आरक्षित भूमि आदि पर कब्ज़ा/ अतिक्रमण

लाभार्थी का विवरण/शिकायत क्षेत्र का

शिकायत क्षेत्र का पता	तहसील- मवाना, जिला- मेरठ

True Copy

6

ANNEXURE 3

6 | दैनिक जनवाणी मेरठ, शनिवार, 23 नवम्बर 2024

मेरठ

| www.dainikjanwani.com |

खनन माफिया के आगे फेल सुप्रीम कोर्ट के आदेश

रात भर सड़कों पर दौड़ रहे मिट्टी खनन से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली, पर्यावरण पर पड़ रहा प्रतिकूल प्रभाव

खनन माफिया द्वारा वन आरक्षित क्षेत्र से होकर गुजरने वाली मध्य गंग नहर किनारे से उठाई गई मिट्टी।

● जनवाणी संवाददाता, हस्तिनापुर

यूं तो मिट्टी खनन प्रतिबंधित है बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने तमाम तरह के खननों को रोकने के आदेश जारी किए, लेकिन प्रशासन की अनदेखी के चलते खनन माफिया सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की बेखौफ धज्जियां उड़ाने में मगन हैं। तहसील क्षेत्र में शाम ढलते ही मिट्टी खनन जोरों से शुरू हो जाता है। वहीं, क्षेत्र में चल रहे ईंट-भट्ठे भी कायदे-कानून को हवा में उड़ा रहे हैं।

बता दें कि देशभर में बढ़ रहे वायु प्रदूषण को कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने खनन और उससे जुड़े कार्यों पर रोक लगा रखी है, लेकिन क्षेत्र के खनन माफिया सुप्रीम कोर्ट के आदेश को धता बताकर सैदपुर कर्मचंदपुर, मालीपुर, मोड़ मदरपुर गंगनहर के नीचे, गजपुरा, मखदूमपुर, किशोरपुर खीमीपुरा, तिगरी, कुड़ी कमालपुर, तरीना, सठला का जंगल, मखदूमपुर रोड, बाइपास, खेड़ी मनिहार, भैंसा रोड आदि के जंगल में रात के अंधेरे में जेसीबी का पीला पंजा जमकर खनन करता है। सूचना के बाद भी प्रशासनिक अमला खनन माफिया पर कार्रवाई करने से बचता नजर आता है।

जानकारी के बाद भी नहीं होती करवाई

सूत्रों की माने तो रात में गरजने वाले पीले पंजे की जानकारी प्रशासनिक अधिकारियों को लगातार दी जाती है। इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती। खनन माफिया से संबंध रखने वाले एक व्यक्ति ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि गुरुवार दिन रात क्षेत्र में हो रहे खनन की जानकारी उन्होंने एसडीएम, हस्तिनापुर रेंजर, मवाना खनन अधिकारी को देने का प्रयास किया, लेकिन किसी ने भी फोन उठाना उचित नहीं समझा। खनन माफिया ने शुक्रवार सुबह तक जमकर खनन किया।

सरकारी मिट्टी का भी हो रहा खनन

यूं तो पुलिस प्रशासन और वन विभाग रात में गस्त करने का दावा करते हैं, लेकिन इसके बाद भी वन आरक्षित क्षेत्र से होकर गुजरने वाली मध्य गंग नहर की सफाई के दौरान निकाली गई मिट्टी खनन माफियाओं की भेंट चढ़ गई। खनन माफियाओं द्वारा वन विभाग की नाक के नीचे किए गए खनन से राजस्व को लाखों रुपये का चूना लगा, लेकिन विभाग को खबर नहीं लगी।

True Copy [signature]